भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या -1618

उत्तर देने की तारीख- 01/08/2024

निर्धन आदिवासी परिवारों के कुपोषण की समस्या

1618. श्री राजकुमार रोत

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों के अधिकांश निर्धन आदिवासी परिवार कुपोषण की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्रों से कुपोषण की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष योजना बनाकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को पोषण से भरपूर खाद्यान्न/खाद्य पदार्थ वितरित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक तैयार कर ली जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का अनुसूचित क्षेत्रों से कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रति वर्ष एक निश्चित बजट आवंटित कर उक्त योजना को उचित तरीके से क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ड.): नीचे दी गई तालिका में एनएफएचएस I से V के प्रमुख संकेतकों की तुलना करने पर पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी महत्वपूर्ण अंतर (गैप्स) हैं:-

एनएचएफएस (I से V) के अनुसार प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक कुल और अजजा

क्र. सं.	प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक	एनएफएचएस-1 (1992-93)		एनएफएचएस-2 (1998-99)		एनएफएचएस-3 (2005-06)		एनएफएचएस-4 (2015-16)		एनएफएचएस-5 (2019-21)	
		कुल	अजजा	कुल	अजजा	कुल	अजजा	कुल	अजजा	कुल	अजजा
1	बच्चों की पोषण स्थिति - (5) वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता (%) (उम्र के अनुसार ऊंचाई)	52.0	52.8	45.5	52.8	48.0	53.9	38.4	43.8	35.5	40.9
2	(5) वर्ष से कम उम्र के कमजोर बच्चों की व्यापकता (%) (ऊंचाई के अनुसार वजन)	17.5	22.0	15.5	21.8	19.8	27.6	21.0	27.4	19.3	23.2
3	(5) वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की व्यापकता (%) (उम्र के अनुसार वजन)	53.4	56.8	47.0	55.9	42.5	54.5	35.7	45.3	32.1	39.5
4	6-59 महीने की आयु के बच्चों में किसी भी प्रकार का एनीमिया (<11.0 g/dl) होने का प्रतिशत	एनए	एनए	74.3	79.8	69.5	76.8	58.5	63.3	67.1	72.4
5	18.5 से कम बीएमआई वाली महिलाओं की पोषण स्थिति (%)	एनए	एनए	35.8	46.3	35.6	46.6	22.9	31.7	18.7	25.5
6	15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में किसी भी प्रकार का एनीमिया (<12.0 g/dl) होने का प्रतिशत	एनए	एनए	51.8	64.9	55.3	68.5	53.1	59.9	57.0	64.6

भारत सरकार जनजातीय आबादी सहित पोषण की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू (क्रियान्वित) करती है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त इनपुट के आधार पर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को अधिनियमित किया है, जो लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र की 75% और शहरी क्षेत्र की 50% आबादी, अर्थात् देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न अर्थात् चावल/गेहूं/मोटे अनाज प्राप्त करने के लिए कवरेज प्रदान करता है (1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, 2028 तक निःशुल्क)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)

के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों) को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात प्रति माह प्रति एएवाई परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवारों के मामले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न) 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, एनएफएस अधिनियम में यह प्रावधान है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन प्राप्त करने का अधिकार (हक) है। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कल्याणकारी संस्थाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भी खाद्यान्न आवंटित करता है, जिसे 1 सितंबर 2017 से दो योजनाओं अर्थात् कल्याणकारी संस्था योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास योजना को मिलाकर एक ही योजना अर्थात् कल्याणकारी संस्थाएं और छात्रावास योजना में नवस्वरूपित किया गया है। कल्याणकारी संस्थाएं अर्थात् धर्मार्थ संस्थाएं जैसे भिक्षु गृह, नारी-निकेतन और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित अन्य समान कल्याणकारी संस्थाएं जो टीपीडीएस या किसी अन्य कल्याणकारी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन सरकार के स्वामित्व वाले/संचालित/सहायता प्राप्त/प्रायोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों के उन निवासियों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर किया जाता है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के दो तिहाई निवासी रहते हैं। गेहूं और चावल की मांग का पैमाना (विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की आदतों के आधार पर राज्य द्वारा यथा प्रस्तावित) इनमेट (साथियों) की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित किया जाता है, जो प्रति इनमेट (साथी) प्रति माह अधिकतम 15 किलोग्राम तक होता है।

कमजोर आबादी में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की चुनौती से निपटने के लिए, भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से फोर्टिफाइड (संपुष्ट) चावल (लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से समृद्ध) की आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक सलाह (परामर्शी) भी जारी की गई है कि वे स्थानीय उपभोग वरीयताओं के अनुसार और समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मोटे अनाज की खरीद करें और उन्हें लाभार्थियों को वितरित करें

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण कार्यनीति को लागू (क्रियान्वित) कर रहा है, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रमों जैसे छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, 10-19 वर्ष के किशोर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और प्रजनन आयु (20-49 वर्ष) की महिलाओं में एनीमिया (रक्ताल्पता) की व्यापकता को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम; स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह जिसमें स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान शामिल है, इसके बाद अग्रिम पंक्ति के

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-उपयुक्त पूरक आहार पद्धतियां शामिल हैं; पोषण पुनर्वास केंद्र, चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अंतरंग (इन-पेशेंट) चिकित्सा और पोषण संबंधी देखभाल प्रदान करते हैं, के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में बाल कुपोषण में सुधार के लिए उपाय शामिल हैं। उपचारात्मक देखभाल के अलावा, बच्चों के लिए समय पर, पर्याप्त और उचित आहार, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने, माताओं और देखभाल करने वालों के लिए पूर्ण आयु-उपयुक्त देखभाल और आहार संबंधी कौशल में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है; स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से दो चक्रों (फरवरी और अगस्त) में एक ही दिन में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संक्रमित कृमि उत्पीड़न (पीड़ा) को कम करने के लिए, जिसमें जनजातीय समुदाय के बच्चे भी शामिल हैं, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के मंचों का उपयोग करते हैं; महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान हेतु और पोषण सहित मातृ और बाल देखभाल पर जागरूकता सृजित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस; और मातृ और शिशु सुरक्षा कार्ड जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जो बच्चों में पोषण संबंधी चिंताओं पर ध्यान देती है और इसका उपयोग पूरे देश में किया जाता है।

कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देते हुए, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे देश में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपाय के रूप में पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत किशोरियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।
8 मार्च 2018 को शुरू किए गए पोषण अभियान का उद्देश्य समन्वित और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाकर समयबद्ध तरीके से किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। अभियान को जनजातीय क्षेत्रों सहित 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शुरू किया गया है। पोषण अभियान प्रौद्योगिकी के उपाय, बहु-मंत्रालयी अभिसरण और सामुदायिक संघटन(जुटाव)/संवेदनशीलता के माध्यम से पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने और इस प्रकार पूरे भारत में पोषण से जुड़े व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण के लिए एक मिशन मोड दृष्टिकोण है। जन आंदोलन के तहत, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा क्रमशः सितंबर और मार्च के महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत 2,380 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विवरण मंत्रालय की वेबसाइट stcmis.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****